<u>निर्वाचन प्रबंधन में जेंडर के</u>

भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान

(भारत निर्वाचन आयोग)

तथा

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन

इस समझौते ज्ञापन के **पक्षकार,** भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान **(**भारत निर्वाचन आयोग**)**, मुख्यालय, नई दिल्ली, भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान, **(**जिसे यहां इसके बाद "अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए" कहा गया है**)**, एक अंतर-सरकारी संगठन, मुख्यालय, स्टॉकहोम, स्वीडन

निर्वाचन प्रक्रियाओं सहित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में क्षमता निर्माण और विकास तथा संगी-साथी **(**पीयर**)** के बीच विचारों के आदान-प्रदान की जरूरत को **समझते हुए;**

निर्वाचन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षमता के विकास में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू सहायता प्रदान करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान **(**जिसे यहां इसके बाद " आई आई आई डी ई एम" कहा गया है**)** की स्थापना का **स्वागत करते हुए**;

उस संभावित योगदान, जो दोनों संस्थानों के संयुक्त प्रयास एवं संसाधन, क्षमता निर्माण और लोकतंत्र निर्माण में विकास तथा सहायता की दिशा में दे सकते हैं, **को मानते हुए**

यह विचार करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसके उद्देश्यों में स्थायी लोकतंत्र में सहायता एवं संवर्धन, तथा पूरे विश्व में निर्वाचन प्रक्रियाओं में सुधार लाना और उसे मजबूत करना सम्मिलित है तथा यह लोकतंत्र में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों और संगठनों द्वारा चर्चा एवं कार्रवाई के लिए भी एक मंच प्रदान करता है;

लोकतंत्र, सुशासन और विधि के शासन के लिए संस्थानों एवं प्रक्रियाओं को सहायता प्रदान करने और उसे सुदृढ़ करने के संयुक्त मिशन से **निर्देशित**; तथा

दोनों पक्षकारों के अपने संयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में समन्वय करने के महत्व की **अभिपुष्टि** करते हुए, इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए **सहमत** हुए हैं**:**

अनुच्छेद I.
उद्देश्य

1.1 इस समझौते ज्ञापन **(**यहां इसके बाद "एम ओ यू" कहा गया है**)** का उद्देश्य आई आई आई डी ई एम की कार्यप्रणाली के साथ अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए के सहयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को विकसित एवं सुदृढ़ करने में सहयोग करने के लिए पक्षकारों द्वारा इसमें निहित वचन के संबंध में निबंधनों एवं शर्तों को स्थापित करना है।

अनुच्छेद II.
क्रियाकलाप

2.1 इस समझौते ज्ञापन के उद्देश्य के अनुसरण में, अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए तथा आई आई आई डी ई एम/भारत निर्वाचन आयोग क्रियाकलापों का एक कार्यक्रम तैयार करेगा और राज्यों एवं सुसंगत क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कार्य करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को प्रमुखता दी गई है **:**

- संसाधनों, प्रशिक्षणों एवं अनुसंधान को शामिल करते हुए सूचना एवं अनुभव के आदान-प्रदान के लिए बैठकों का आयोजन करना;
- निर्वाचन लोकतांत्रिक संस्थानों एवं प्रक्रियाओं को विकसित एवं सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान, तकनीकी प्रशिक्षण में सहायता और सहयोग हेतु संयुक्त पहलें तैयार करना;
- निर्वाचन एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में सभी हितधारियों **(**स्टेकहोल्डर्स**)**, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों, के ज्ञान, क्षमता एवं सुविज्ञता बढ़ाने की दृष्टि से उनके लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना;
- लोकतांत्रिक देशों के बीच ज्ञान एवं सुविज्ञता का आदान-प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच एवं कार्यक्रम आयोजित करना;
- निर्वाचन एवं लोकतांत्रिक संस्थानों एवं प्रक्रियाओं के बारे में शोध-पत्रों एवं अन्य प्रकाशनों को व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से प्रकाशित करना,
- संयुक्त हित के विषयों में प्रैक्टिशनरों एवं विशेषज्ञों के विचार विनिमय एवं दौरों को बढ़ावा देना।

2.2 पक्षकार आगे ऐसी अन्य संभावित परियोजनाओं का अन्वेषण करने का वचन देते हैं जिनसे निर्वाचन लोकतांत्रिक संस्थानों एवं प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

2.3 पक्षकार इसमें स्थापित दिशानिर्देशों और प्रत्येक पक्षकार की बजटीय एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार, अपने सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित पृथक करारों के माध्यम से इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न क्रियाकलापों का संचालन करेंगे। ऐसा प्रत्येक करार, उपयुक्त हो तो प्रत्येक पक्षकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों तथा अंशदान किए जाने वाले वित्तीय एवं अन्य प्रकृति के संसाधनों को विनिर्दिष्ट करेगा। इन करारों का संदर्भ इस समझौत ज्ञापन से होगा और ये इस समझौते ज्ञापन के निबंधनों द्वारा शासित होंगे, जब तक कि पक्षकार उन कार्यान्वयन करारों में स्पष्ट रूप से अन्यथा कथन नहीं करेंगे।

अनुच्छेद III.
वित्तीय दायित्व

3.1 यह समझौता ज्ञापन स्वयं किसी पक्षकार पर कोई वित्तीय दायित्व अधिरोपित नहीं करता है। इस समझौता ज्ञापन में कोई बात, इस समझौता ज्ञापन के अधीन परिकल्पित क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की दिशा में निधियों का अंशदान करने के संबंध में कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी। इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न करारों के अधीन पक्षकारों द्वारा उपगत वित्तीय दायित्व पक्षकारों के शासी निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों, निधियों की उपलब्धता तथा पक्षकारों के बजटीय एवं वित्तीय विनियमों के अध्यधीन होंगे।

अनुच्छेद IV
कॉपीराइट और सूचना का आदान-प्रदान

4.1 इस समझौते ज्ञापन के अधीन संयुक्त रूप से विकसित सभी नई सामग्री की इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर में स्टोर की गई अंतर्वस्तु सहित सभी नई सामग्री के बौद्धिक संपदा अधिकारों **(**"कॉपीराइट"), कॉपीराइट की पूरी अवधि और उस अवधि के सभी नवीकरणों एवं विस्तारों के लिए ऐसे प्रत्येक ऐसे विधिक क्षेत्राधिकार में विधि द्वारा अनुमत्य पूर्ण सीमा तक विश्व में प्रत्येक विधिक क्षेत्राधिकार में पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से धारित होंगे। यह ऐसी नई सामग्री पर लागू नहीं होगा, जो दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा दूसरे की तकनीकी सहायता और/या इनपुट से विकसित की जाती है।

4.2 इसी प्रकार, उपर्युक्त में दोनों में से किसी द्वारा अंशदान की गई ऐसी सामग्री समाविष्ट नहीं है जो पूरी तरह आई आई आई डी ई एम **(**भारत निर्वाचन आयोग**)** या अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए द्वारा पुस्तकों एवं प्रकाशनों, जो वे प्रिंट में या अपनी वेबसाइट पर पहले प्रकाशित कर चुके हैं, के भाग के रूप में विकसित की गई है। ऐसी सामग्री के लिए कॉपीराइट संबंधित पक्षकार की अनन्य संपत्ति होगी।

4.3 इस समझौता ज्ञापन के अधीन संयुक्त रूप से तैयार किए गए प्रकाशनों के सभी इलेक्ट्रॉनिक संस्करणों को सृजनात्मक संयुक्त लाइसेंस के अधीन लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इसमें दूसरे को प्रकाशनों की कॉपी करने, वितरित या प्रदर्शित करने की अनुमति होगी बशर्ते कि वे ऐसा गैर व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए करते हैं, स्रोत को समुचित श्रेय देते हैं तथा केवल अंगीकृत सृजनात्मक लाइसेंस के समान लाइसेंस के अधीन व्युत्पन्न कृति का वितरण करते हैं। यह लाइसेंस पूरे विश्व में लागू होता है और निरस्त किए जाने योग्य नहीं है।

4.4 पक्षकार साझे हित की ऐसी सूचना एवं दस्तावेजों का नियमित रूप से आदान-प्रदान करेंगे जो उनके गोपनीयता संबंधी प्रतिबंधों के अध्यधीन नहीं है।

अनुच्छेद V
समन्वय और अधिसूचनाएं

5.1 इस समझौता ज्ञापन के अधीन भारत निर्वाचन आयोग के क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिए आई आई आई डी ई एम/भारत निर्वाचन आयोग के भीतर जिम्मेदार कार्यालय हैं, प्रशिक्षण प्रभाग, भारत निर्वाचन आयोग और इसके प्रतिनिधि हैं, श्री एस एस यादव, निदेशक। अधिसूचनाएं एवं संसूचनाएं निम्नलिखित पते एवं फैक्स नम्बर पर उपर्युक्त प्रतिनिधि को भेजी जानी चाहिए**:**

भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान
(आई आई आई डी ई एम**)**
भारत निर्वाचन आयोग,
7वां तल, निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-**110001**
दूरभाष**: +91 011 23052089**
फैक्स**: +91 011 23052089**
ई-मेल**:** director.training.eci@gmail.com

5.2 इस समझौता ज्ञापन के अधीन अपने क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए के भीतर जिम्मेदार कार्यालय है, एशिया एवं प्रशांत अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए कार्यक्रम तथा इसके प्रतिनिधि हैं, एन्ड्रयू इलिस, निदेशक एशिया एवं प्रशांत। अधिसूचनाएं एवं संसूचनाएं निम्नलिखित पते एवं फैक्स नम्बर पर उपर्युक्त प्रतिनिधि को भेजी जानी चाहिए**:**

एशिया एवं प्रशांत अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए कार्यक्रम

99 नॉर्थबॉर्न एवेन्यू
टर्नर **2612**
कैनबेरा
आस्ट्रेलिया
दूरभाष **: +61 2 6178 1500**
फैक्स **: +61 2 6257 3219**
ई-मेल **:** asiapacific@idea.int

5.3 इस समझौता ज्ञापन के अधीन जारी संसूचनाएं एवं अधिसूचनाएं केवल तब विधिमान्य होंगी जब इस समझौते ज्ञापन के अनुच्छेद **5.1** एवं **5.2** में दर्शाए गए पते पर प्रतिनिधियों को मेल या फैक्स द्वारा भेजी जाएं। जब संसूचनाएं और अधिसूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा प्रेषित की जाती हैं तो केवल तब विधिमान्य होगी जब सीधे एक पक्षकार के समन्वयकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से दूसरे पक्षकार के समन्वयकर्ता के इलेकट्रॉनिक एड्रेस पर भेजी जाए।

5.4 प्रत्येक पक्षकार अपनी संरचना के भीतर जिम्मेदार यूनिटों, पदामिहित प्रतिनिधि, या दिए गए पते, दूरभाष, फैक्स या ई-मेल को, इस बारे में लिखित में दूसरे पक्षकार को अधिसूचित करके बदल सकता है।

अनुच्छेद VI
विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

6.1 प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसे विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां प्रदान करता है जो उस विषय पर करारों के अधीन लागू हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के साधारण सिद्धांतों के अनुसार हैं।

6.2 इस समझौते ज्ञापन में कोई बात इसके उद्देश्यों, सुसंगत करारों और अंतर्राष्ट्रीय विधि के साधारण सिद्धांतों एवं पद्धतियों के अनुसार आई आई आई डी ई एम **(**भारत निर्वाचन आयोग**)**, इसके कार्मिकों एवं परिसंपत्तियों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की स्पष्ट निहित माफी नहीं है।

6.3 इस समझौते ज्ञापन में कोई बात इसकी संविधियों, सुसंगत करारों के अनुसार तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के साधारण सिद्धांतों एवं पद्धतियों के अनुसरण में अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए, इसके कार्मिकों और इसकी परिसंपत्तियों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की स्पष्ट या निहित माफी / छूट नहीं है।

अनुच्छेद VII
विवादों का निपटारा

7.1 पक्षकार इस समझौते ज्ञापन या इस समझौते ज्ञापन के अनुसरण में, परवर्ती करारों से उत्पन्न किसी विवाद, असहमति या शिकायत का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने का हर संभव प्रयास करेगा। जब पक्षकार सुलह के माध्यम से शांतिपूर्ण निराकरण पर पहुंचना चाहता है तो ऐसी सुलह उस समय लागू संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि के सुलह नियमों के अनुसार या किसी अन्य प्रक्रिया, जिससे पक्षकार सहमत हों, के माध्यम से की जाएगी।

7.2 इस समझौते ज्ञापन के परिणामस्वरूप पक्षकारों के बीच किसी विवाद, असहमति या शिकायत का निराकरण परस्पर चर्चा के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा।

7.3 यह समझौता ज्ञापन इस समझौते ज्ञापन में उल्लिखित मुद्दे के संबंध में पक्षकारों के निर्वाचन को सही-सही प्रदर्शित करता है तथा इस मामले से संबंधित पूर्व के सभी करारों को प्रतिस्थापित करता है। यदि एक पक्षकार इस समझौते ज्ञापन के उपबंध को कार्यान्वित नहीं करता है तो इसका अर्थ उस विशिष्ट उपबंध या इस समझौते ज्ञापन के किसी अन्य उपबंध के अनुपालन से छूट नहीं होगा। यदि इस समझौते ज्ञापन का कोई उपबंध निरस्त किया जाता है या लागू नहीं होता है तो वह इस समझौते ज्ञापन के किसी दूसरे उपबंध की विधिमान्यता या प्रयोज्यता को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुच्छेद VIII
संशोधन

8.1 इस समझौते ज्ञापन में संशोधन, केवल दोनों पक्षकारों के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित स्पष्ट एवं परस्पर करार द्वारा ही किए जा सकते हैं। संशोधनों वाले कोई लिखत/ दस्तावेज समझौते ज्ञापन से संलग्न होंगे और इसका अभिन्न भाग होंगे।

अनुच्छेद IX
प्रभावी करना और निरस्त करना

9.1 यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा और तीन वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा।

9.2 इस समझौता ज्ञापन को अनुच्छेद **8.1** में यथा उल्लिखित इस समझौते ज्ञापन के परिशिष्ट के रूप में व्यक्त परस्पर सहमति द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

9.3 इस समझौते ज्ञापन को परस्पर सहमति से निरस्त किया जा सकता है या इसे एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को कम से कम तीन माह की अग्रिम लिखित नोटिस देकर निरस्त किया जा सकता है। तथापि, इस समझौते ज्ञापन का निरस्तीकरण अनुच्छेद **2.3** के अधीन करारों के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं तथा समुचित रूप से वित्तपोषित क्रियाकलापों की प्रभावकारी स्थिति प्रभावित नहीं करेगा । किसी एक पक्षकार द्वारा इस समझौते ज्ञापन का निरस्तीकरण के नोटिस की प्राप्ति से पूर्व के क्रियाकलापों या परियोजनाओं के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग या अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए द्वारा ग्रहण किए गए अप्रतिसंहरणीय दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।

जिसके साक्ष्य में, पक्षकारों के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि निम्नलिखित स्थानों पर एवं तिथियों को दो समान रूप से विधिमान्य मूल रूप से इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं।

(आशीष श्रीवास्तव)
महानिदेशक **(**प्रशिक्षण**)**
भारत निर्वाचन आयोग

निदेशक, एशिया एवं प्रशांत

भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र	अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं
एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान के लिए	निर्वाचन सहायता संस्थान के लिए
स्थान **:** नई दिल्ली, भारत	स्थान **:** केनबरा, आस्ट्रेलिया
तारीख **: 6/12/12**	तारीख **13/12/12**